

जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर।

--:आदेश:-

संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 99 दिनांक 19.08.2021 द्वारा प्राप्त आवंटन एवं मेकर आईडी में जिला सुरक्षित राशि से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनो के लिए विपत्र कोड संख्या- 47-3055007890101 एवं विपत्र कोड-47-3055001990101 में नीचे वर्णित प्रखंडों के सामने अंकित राशि को उपावंटित किया जाता है।


उपावंटन के पश्चात EBC में 20000/- अनुसूचित जाति में राशि 50000/- मेकर के आईडी में सुरक्षित है।

क्र०	निकासी एवं व्ययन प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रखंड का नाम	मुख्य शीर्ष- 3055 सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष - 199 अन्य गैर सरकारी संस्थाओ को सहायता उप		मुख्य शीर्ष- 3055 सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष - 789 अन्य गैर सरकारी संस्थाओ को सहायता उप		मुख्य शीर्ष- 3055 सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष - 796 अन्य गैर सरकारी संस्थाओ को सहायता उप		कुल योग
		भीर्षा-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47-3055001990101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	वर्तमान में उपावंटित की गई राशि	शीर्ष-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47-3055007890101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	वर्तमान में उपावंटित की गई राशि	शीर्ष-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47-3055007960101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	वर्तमान में उपावंटित की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बक्सर	300000	140000	440000	0	0	0	880000
2	इटाही	300000	70000	200000	0	0	0	570000
3	चौसा	200000	0	200000	0	0	0	400000
4	राजपुर	200000	0	300000	0	0	0	500000
5	डुमराँव	600000	200000	100000	200000	300000		1400000
6	ब्रह्मपुर	400000	300000	200000	200000	0	0	1100000
7	सिमरी	500000	100000	300000	270000	100000	0	1270000
8	नावानगर	500000	200000	270000	100000	0	0	1070000
9	चौगाई	300000	70000	200000	70000	0	0	640000
10	चक्की	200000	200000	0	0	200000	0	600000
11	केसठ	200000	0	200000	100000	0	0	500000
	कुल	3700000	1280000	2410000	940000	600000	0	8930000

- उपावंटित राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-318 दिनांक 19.08.2021 में निहित अनुदेशो के आलोक में एवं वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप में नियंत्रण रखा जा सके।
- उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- लाभुक को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या- 823 दिनांक 05.09.2018

एवं विभागीय अधिसूचना सं०- 6297 दिनांक 08.08.2019 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी छन्दपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अन्तरित करने की पूर्व लाभुक से चयनित वाहन निबंधन पुस्त बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेगे। यदि वाहन खरीदेन हेतु किसी वित पोषक संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित पोषक करने वाली संस्था के ऋण भुगातन किया जायेगा। विभागीय अधिसूचना संख्या 6297 दिनांक 08.08.2019 एवं पत्रांक 3020 दिनांक 02.06.2021 के आलोक में लाभुक से वित पोषण संस्था को राशि अन्तरण करने हेतु आर०टी०जी०एस० प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा एवं इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि लाभुक के खाते से ऋण देने वाले विततीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अन्तरण करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा।

4. उपावटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।
5. उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतोष होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. उपावटित राशि का उपयोग होन के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० न० तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


जिला पदाधिकारी
बक्सर।

ज्ञापांक :- 19-1044 दिनांक :- 19.08.2021

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर, डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर एवं आई०टी० मैनेजर बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आवंटन आदेश को जिला बक्सर के बेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी
बक्सर।